National Journal of Multidisciplinary Research and Development
www.multinationaljournal.com
ISSN: 2455-9040
Received: 23-03-2026, Accepted: 23-04-2026, Published: 08-05-2026
Volume 11, Issue 2, 2026, Page No. 52-56

डॉ. भीमराव रामजी अम्बेडकर एवं स्त्री सशक्तीकरण

डा. सविता राय
सह–आचार्य, शिक्षापीठ, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, भारत

सारांश
कोई भी व्यक्ति जो समाज एवं राष्ट्र के उत्थान के लिए समर्पित दृष्टिकोण रखता है वह स्त्री एवं पुरुष की सोच से ऊपर उठकर विचार रखता है कि समाज का विकास कैसे हो क्योंकि केवल एक वर्ग का विकास समाज के विकास का द्योतक नहीं होता। राष्ट्र का विकास सभी वर्गों को साथ लेकर चलने तथा समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त करने में निहित होता है। और इस समावेश में समाज का दूसरा स्तम्भ अर्थात् स्त्रियों के विकास की बात अग्रणी रूप से रखी जाती रही है क्योंकि समाज रूपी भवन को खड़ा करने में स्त्री तथा पुरुष दो स्तम्भ मजबूती के साथ खड़े रहते हैं। प्रस्तुत पत्र में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उन विचारों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है जिनसे न केवल उनकी समाज को आगे बढ़ाने की विचारधारा प्रकट होती है अपितु स्त्रियों को विशेष रूप से विकास की धारा में सम्मिलित करने पर जोर देने की बात भी उनके द्वारा सदैव कही जाती रही है।

मूल शब्दः लैंगिक असमानता, अश्पृश्यता, स्त्री सशक्तीकरण, शिक्षा, संविधान, मानवाधिकार

बाबासाहेब अंबेडकर भारत के एक महान विधिवेत्ता, राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक तथा वंचित वर्गों के अग्रणी मार्गदर्शक थे। भारतीय समाज में व्याप्त सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष किया। उन्होंने दलितों, महिलाओं और श्रमिकों को समान सामाजिक अधिकार दिलाने के लिए निरंतर प्रयास किया। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे और भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार के रूप में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। उनके विचारों और कार्यों ने भारतीय समाज को समानता, न्याय और मानव गरिमा की दिशा में आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये एक अत्यंत परिश्रमी और अदम्य जिज्ञासा वाले विद्यार्थी थे।

उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सतारा और बंबई (मुंबई) में प्राप्त की। Elphinstone High School से मैट्रिक उत्तीर्ण करने वाले वे अपने समुदाय के पहले छात्र थे। University of Bombay से उन्होंने स्नातक (B. A.) की डिग्री प्राप्त की। उन्हें बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ द्वारा छात्रवृत्ति प्राप्त हुई Columbia University (अमेरिका) से M. A. तथा Ph. D. (अर्थशास्त्र) एवं London School of Economics से D. Sc. (Economics) की डिग्री प्राप्त की तथा Gray's Inn से (Bar-at-Law) कानून की डिग्री प्राप्त की। कानून, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में उनके शोध के कारण उन्हें एक विद्वान के रूप में अत्यधिक प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। अपने प्रारंभिक जीवन में वे एक अर्थशास्त्री, प्राध्यापक और वकील के रूप में कार्यरत रहे।

उनका बाद का जीवन मुख्यतः राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ा रहा, जिसमें उन्होंने भारत की स्वतंत्रता से संबंधित वार्ताओं में भाग लिया। उन्होंने पत्र–पत्रिकाओं के प्रकाशन के माध्यम से दलितों (अस्पृश्यों) के राजनीतिक अधिकारों और सामाजिक स्वतंत्रता के लिए सक्रिय रूप से अभियान चलाया तथा भारत राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया, जो उनके अद्वितीय योगदान का प्रतीक है। कहा जा सकता है कि डॉ. भीमराव रामजी अम्बेडकर भारतीय इतिहास के महानतम व्यक्तित्वों में से एक थे जिनका जीवन संघर्ष, परिश्रम और सामाजिक न्याय की प्रेरणादायक गाथा है।

B. R. Ambedkar ने भारतीय समाज के पुनर्निर्माण और सुधार के लिए संघर्ष किया, जो उस समय सामाजिक–धार्मिक और राजनीतिक पतन (degeneration) से प्रभावित था। उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे जाति प्रथा, अस्पृश्यता, लैंगिक असमानता और सामाजिक भेदभाव इत्यादिक के विरुद्ध निरंतर आवाज उठाई। डॉ. भीमराव अंबेडकर का उद्देश्य एक ऐसे समाज की स्थापना करना था जो समानता, न्याय और मानव गरिमा के सिद्धांतों पर आधारित हो। उन्होंने सामाजिक सुधार को केवल विचारों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे व्यावहारिक रूप देने के लिए शिक्षा, कानून और राजनीतिक अधिकारों को महत्वपूर्ण साधन माना। इस प्रकार, उनका संघर्ष एवं दृष्टिकोण सदैव भारतीय समाज को एक अधिक न्यायपूर्ण, प्रगतिशील और समतामूलक समाज के रूप में स्थापित करने का रहा।

भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्यप्रदेश के इन्दौर जिले के Mhow गांव, जिसे वर्तमान में डॉ. अम्बेडकर नगर कहा जाता है, में एक दलित (महार) परिवार में हुआ। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल तथा माता भीमाबाई थीं। शिक्षा के प्रति उनकी लगन अद्भुत थी। उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाकर Columbia University से एम.ए. एवं पीएच.डी. तथा स्वदकवद School of Economics से डी.एससी. की उपाधि प्राप्त की। वे अत्यंत विद्वान और दूरदर्शी विचारक थे। उनका मानना था कि शिक्षा ही वह माध्यम है, जिससे समाज में समानता और जागरूकता लाई जा सकती है।

आज समाज डॉ. भीमराव रामजी अम्बेडकर की पहचान एक विशेष वर्ग के उत्थान तथा कल्याण तक सीमित करने पर लगा हुआ है परन्तु उनका जीवन सामाजिक समरसता का प्रतीक है। उनके शिक्षक महादेव अंबेडकर ने उन्हें अपना उपनाम दिया और डॉ. साहब की पहचान डॉ. अंबेडकर के रूप में हुई। कोल्हापुर के राजा शाहूजी महाराज ने भीमराव की प्रतिभा पहचानी और छात्रवृत्ति देकर उन्हें शिक्षा की ओर बढ़ाया। बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उन्हें उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति दी जिससे भीमराव अंबेडकर अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय और इंग्लैंड के लंदन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स तक पहुंचे और विश्व के सबसे विद्वान नेताओं में सम्मिलित हुए।

यह तथ्य सर्वविदित है कि डॉ. भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकारों में से एक थे। स्वतंत्र भारत के निर्माण में उनका अद्वितीय योगदान रहा है। वे स्वतन्त्र भारत के प्रथम विधि मंत्री बने और भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति (Drafting Committee) के अध्यक्ष रहे। डॉ. अम्बेडकर ने

अपना जीवन समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने दलितों और महिलाओं के अधिकारों के लिए कई आंदोलन किए। उन्होंने न केवल संविधान का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि एक ऐसे समाज की कल्पना की जिसमें समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व (Equality, Liberty, Fraternity) के सिद्धांत स्थापित हों। थे। उन्होंने संविधान को इस प्रकार बनाया कि यह समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर महिलाओं, दलितों और वंचितों के अधिकारों की रक्षा कर सके। उनका मानना था कि राजनीतिक लोकतंत्र तभी सफल होगा जब सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी स्थापित हो।

इन्होंने लगभग 40 पुस्तकें तथा पत्र–पत्रिकाओं में लेख लिखे हैं जिनमें प्रमुख हैं– जाति का संहार (Annihilation of Caste) जो उनकी सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली कृतियों में से एक है तथा जो जाति प्रथा पर प्रहार करती है। बुद्ध और उनका धम्म (The Buddha and His Dhamma), बौद्ध धर्म पर उनकी अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। रुपये की समस्या: उद्भव और समाधान (The Problem of the Rupee: Its Origin and Its Solution), शूद्र कौन और कैसे? (Who Were the Shudras?), पुस्तक में ऐतिहासिक और सामाजिक विश्लेषण किया गया है। पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन (Thoughts on Pakistan), राजनीतिक–सामाजिक कृति है। उनकी पुस्तक रानाडे, गाँधी और जिन्ना, उनके राजनीतिक विचारों को दर्शाती पुस्तक है जिसमें डॉ. अम्बेडकर ने इन तीनों नेताओं की राजनीतिक दृष्टि, कार्यप्रणाली और सामाजिक सुधार के प्रति दृष्टिकोण की तुलना की है।

वे मावनवाधिकारों के प्रति न केवल जागरूक थे बल्कि मानवाधिकारों के लिए आजीवन संघर्षरत रहे। वे सामाजिक न्याय के पुरोधा तथा महिला सशक्तीकरण के प्रबल समथर्क थे। डॉ. अंबेडकर के विचारों में महिलाओं को केवल समान अधिकार देने की बात ही नहीं, बल्कि उन्हें सामाजिक परिवर्तन की शक्ति के रूप में देखा गया है। उनके अनुसार, किसी भी राष्ट्र की वास्तविक प्रगति महिलाओं की स्थिति पर निर्भर करती है। वे समाज के दोयम व्यवहार से चिंतित थे। उन्होंने बिना किसी जाति, धर्म, सम्प्रदाय के भेदभाव के सम्पूर्ण स्त्री के उत्थान एवं समान अधिकार के लिए कार्य किया। उन्होंने नारी उत्थान के लिए न केवल संविधान सभा में अपनी बात रखी अपितु स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार दिलाने के लिए कई प्रावधानों की संविधान में व्यवस्था करवाते हुए उसपर सर्वसम्मति की ली।

स्त्री सशक्तीकरण के प्रति अम्बेडकर का दृष्टिकोण

स्त्री समाज का सबसे वंचित वर्ग रही है और यदि वह दलित, आदिवासी अथवा ग्रामीण समाज से आती है तो उसकी स्थिति और भी दयनीय है। शिक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता, स्वास्थ्य और निर्णय लेने की क्षमता का अभाव उनकी स्थिति को और अधिक दयनीय बना देता है। यदि देखा जाये तो यह लिंग, जाति और वर्ग के आधार पर दोहरे उत्पीड़न अथवा शोषण का विषय है, जहाँ पुरुष वर्चस्व और सामाजिक कुरीतियों के कारण वे शिक्षा, स्वास्थ्य तथा निर्णय में भागीदारी जैसे मुद्दों से तो वंचित होती रही हैं परन्तु विडम्बना यह है कि उन्हें शोषण एवं हिंसा के लिए सरलता से उपलब्ध वस्तु के रूप में देखा जाता रहा है यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि मानव के रूप में उनके आस्तित्व के लिए समाज के जागरूक वर्ग द्वारा सदैव आवाज उठायी जाती रही है। भारतीय परिदृश्य में देखा जाये तो स्त्रियों के आस्तित्व, सुरक्षा तथा शोषण के विरूद्ध आवाज उठाने वाले प्रायः पुरुष ही रहे हैं और ऐसे ही एक पुरुष के रूप में डॉ. भीमराव रामजी अम्बेडकर जी का नाम हम सभी जानते हैं। डॉ. अम्बेडकर महिलाओं को समानता, स्वतंत्रता और सम्मान दिलाने के प्रबल समर्थक थे। उनका प्रसिद्ध कथन है— "मैं किसी समुदाय की प्रगति को इस आधार पर मापता हूँ कि उस समुदाय की महिलाओं ने कितनी प्रगति की है।" डॉ. भीमराव अंबेडकर के स्त्री सशक्तीकरण संबंधी विचारों को मुख्यतः अधोवर्णित बिन्दुओं के अन्तर्गत विश्लेषित किया जा सकता है–

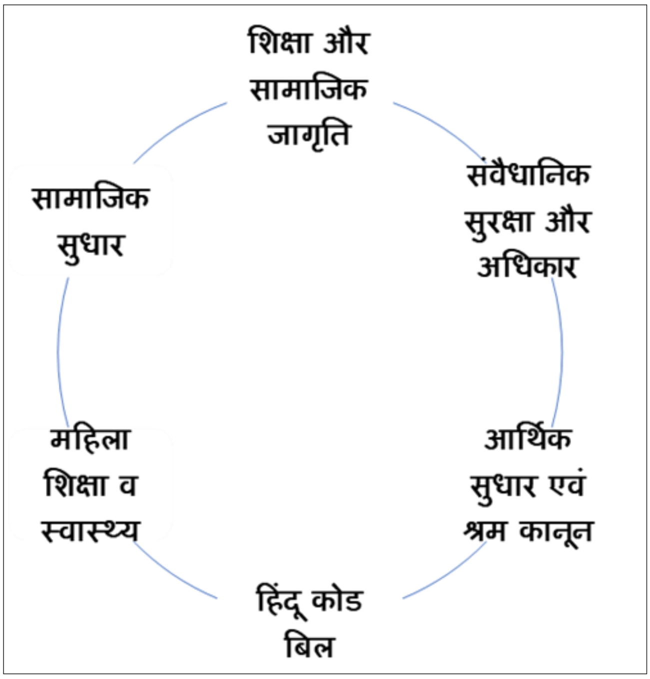

चित्र 1: स्त्रियों के विविध अधिकार क्षेत्र एवं डॉ. अंबेडकर की दृष्टि

शिक्षा और स्त्री विमर्श

शिक्षा के महत्व को रेखांकित करते हुए डॉ. अम्बेडकर ने अपने किसी भाषण में कहा था कि "शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पीएगा, वह दहाड़ेगा" (Education is the milk of a lioness, whoever drinks it will roar) जिसका उद्देश्य शोषित और वंचित समाज के लोग शिक्षा प्राप्त कर आत्मसम्मान तथा स्वाभिमान से जीने के लिए जागरूक किया जा सके क्योंकि वास्तविक सशक्तीकरण ज्ञान प्राप्त कर उसे जीवन में उतारना तथा आत्मसम्मान के साथ जीवन जीना है।

डॉ. अम्बेडकर ने जुलाई 1942 में नागपुर में आयोजित एक सम्मेलन में कहा था कि "शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो"(Educate, agitate, organize)। उनका यह कथन स्त्रियों के लिए भी है। शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने का साधन नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के भीतर जागरूकता (Awareness) उत्पन्न करने का सबसे प्रभावी माध्यम है। शिक्षा व्यक्ति को अपने अधिकारों, कर्तव्यों और समाज में अपनी भूमिका के प्रति सजग बनाती है। शिक्षा व्यक्ति को समाज में व्याप्त कुरीतियों, भेदभाव और असमानताओं को समझने की क्षमता देती है। व्यक्ति सामाजिक न्याय और समानता के प्रति संवेदनशील बनता है। शिक्षा व्यक्ति को लोकतांत्रिक मूल्यों, अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी देती है। वह अपने मताधिकार और शासन प्रक्रिया में भागीदारी के प्रति सजग होता है। शिक्षा व्यक्ति को रोजगार, संसाधनों और आर्थिक अवसरों के बारे में जानकारी देती है। वह आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ता है। शिक्षा सही और गलत में अंतर करने की क्षमता विकसित करती है। व्यक्ति में तर्कशक्ति (critical thinking) और स्वतंत्र विचार विकसित होते हैं। अतः यदि स्त्रियों की बात की जाये तो शिक्षा स्त्रियों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने के साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाती है। शिक्षित स्त्री परिवार और समाज दोनों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा

व्यक्ति को केवल सूचना अथवा ज्ञान नहीं देती, बल्कि उसे सोचने, समझने और सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। इस प्रकार, शिक्षा ही वह आधार है जो व्यक्ति में जागरूकता उत्पन्न कर उसे एक जिम्मेदार नागरिक बनाती है।

डॉ. अंबेडकर का मानना था कि महिलाओं की शिक्षा के बिना सामाजिक प्रगति असंभव है, और उन्होंने पुरुष शिक्षा के साथ–साथ महिला शिक्षा को अनिवार्य माना था। अपने एक पत्र में इन्होंने लिखा था कि "हम जल्द ही बेहतर दिन देखेंगे और हमारी प्रगति तेजी से बढ़ेगी, यदि पुरुषों की शिक्षा के साथ–साथ महिलाओं की शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जाए" (We shall see better days soon and our progress will be greatly accelerated if male education is persuaded side by side with female education.)।

स्त्री शिक्षा के प्रति स्वामी विवेकानन्द जी भी ने कहा है कि "Educate your women first and leave them to themselves; then they will tell you what reforms are necessary for them" उनका दृष्टिकोण आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक था। उन्होंने स्त्री सशक्तीकरण को आध्यात्मिक जागरण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान से जोड़ा। वे भारतीय परंपरा के अनुरूप स्त्री शिक्षा को विकसित करना चाहते थे, जिसमें नैतिकता और आध्यात्मिकता का समावेश हो। यही विचारधारा डॉ. अम्बेडकर की सोच में भी दिखायी देता है। परन्तु का डॉ. अम्बेडकर का दृष्टिकोण सामाजिक, कानूनी एवं संवैधानिक था जो स्त्री सशक्तीकरण को सामाजिक न्याय, समान अधिकार और कानूनी सुधार से जोड़ता है अतः कहा जा सकता है कि कि थे। डॉ. अंबेडकर स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण अधिकार–आधारितथा। वह बाह्य संरचनाओं यथा कानून, संविधान तथा सामाजिक व्यवस्था को बदलकर स्त्रियों को अधिकार दिलाना चाहते वे महिलाओं को पुरुषों के समान अवसर और शिक्षा दिलाने के पक्षधर थे, ताकि वे समाज में बराबरी का स्थान प्राप्त कर सकें। यही कारण है कि उन्होंने महिलाओं के लिए शिक्षा, संपत्ति अधिकार, समान वेतन और कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास किया।

स्वास्थ्य, शिक्षा एवं समान अवसरों तक स्त्रियों की पहुँच अनेक सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक कारणों से अवरूद्ध है। शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने की लड़ाई बहुत कठिन रही परन्तु इस अधिकार की प्राप्ति से समाज में धर्म, जाति, लिंग एवं समुदाय के आधार पर भेद–भाव समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ना सरल हो गया है। शिक्षा को स्त्री सशक्तीकरण हेतु एक सशक्त माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया है क्योंकि शिक्षित स्त्री जीवन की चुनौतियों को स्वीकार कर अपने पारंपरिक भूमिकाओं का निर्वहन करते हुए अपने जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन कर सकती है।

सामाजिक जागृति एवं स्त्री विमर्श

बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक Pakistan or the Partition of India के द्वितीय अध्याय "The Social Stagnation of Muslims" में भारत में मुस्लिम समाज की सामाजिक संरचना, विशेषकर जड़ता और महिलाओं की स्थिति का विश्लेषण किया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि – "Indeed, the Muslims have all the social evils of the Hindus and something more. That something more is the compulsory system of purdah for Muslim women. These burka women walking in the streets is one of the most hideous sights one can witness in India". Stagnation" का अर्थ है — समाज में परिवर्तन, सुधार और प्रगति का रुक जाना। उन्होंने तर्क दिया कि मुस्लिम समाज में सुधार आंदोलनों की कमी है, परंपराएँ अत्यधिक मजबूत हैं। नए विचारों को स्वीकार करने में कठिनाई होती है। इसका सीधा प्रभाव स्त्री समाज पर पड़ता है और उनकी शिक्षा, सामाजिक सहभागिता तथा मानसिक विकास अवरूद्ध हो जाता है। स्त्रियां किसी भी समाज की हो प्रायः अपने अधिकारों से अनभिज्ञ भी हैं और वंचित भी हैं। जब समाज में उन पर बेड़ियां लगा दी जाती हैं तो उनका जीवन घर की चारदीवारी तक ही सीमित रह जाता है।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर के अनुसार "पर्दा केवल वस्त्र या पहनावे का मुद्दा नहीं है, बल्कि एक सामाजिक संस्था है"— इस कथन का अर्थ यह है कि पर्दा केवल व्यक्तिगत पसंद या सांस्कृतिक परंपरा भर नहीं, बल्कि एक संगठित सामाजिक व्यवस्था है जो महिलाओं के व्यवहार, भूमिकाओं और जीवन के अवसरों को नियंत्रित करती है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से "सामाजिक संस्था" उन नियमों, मान्यताओं और प्रथाओं का समूह होती है जो व्यक्तियों के आचरण को निर्धारित और नियमित करते हैं; इसी प्रकार पर्दा भी एक ऐसा तंत्र बन जाता है जिसमें यह तय किया जाता है कि महिलाओं को कैसे रहना, चलना, बोलना और समाज में किस सीमा तक भाग लेना है। यह व्यवस्था केवल बाहरी आवरण तक सीमित नहीं रहती, बल्कि महिलाओं की शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सहभागिता और निर्णय लेने की क्षमता को भी प्रभावित करती है। पर्दा प्रथा के अंतर्गत महिलाओं का सार्वजनिक जीवन से आंशिक या पूर्ण अलगाव उन्हें घर की चारदीवारी तक सीमित कर सकता है, जिससे उनकी आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक पहचान कमजोर होती है। इसके साथ ही, यह प्रथा समाज में लैंगिक भूमिकाओं को स्थिर कर देती है, जहाँ पुरुषों को सार्वजनिक क्षेत्र का प्रतिनिधि और महिलाओं को निजी क्षेत्र तक सीमित माना जाता है। अंबेडकर का तर्क था कि ऐसी व्यवस्थाएँ केवल सांस्कृतिक नहीं, बल्कि शक्ति–संबंधों (power relations) से भी जुड़ी होती हैं, जहाँ पुरुष प्रधानता को बनाए रखने के लिए सामाजिक मानदंडों का निर्माण और पालन कराया जाता है।

आधुनिक संदर्भ में यह माना जा रहा है कि यदि कोई स्त्री अपनी इच्छा से पर्दा अपनाती है तो यह उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता (agency) का हिस्सा हो सकता है, लेकिन जब यह सामाजिक दबाव, परंपरा या बाध्यता के रूप में लागू होता है, तब यह एक दमनकारी संस्था का रूप ले लेता है। इसलिए अंबेडकर के इस कथन का सार यह है कि किसी भी सामाजिक प्रथा को केवल उसकी बाहरी अभिव्यक्ति से नहीं, बल्कि उसके व्यापक सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक प्रभावों के आधार पर समझना चाहिए; और यदि वह प्रथा समानता, स्वतंत्रता और मानव गरिमा को सीमित करती है, तो उसे सुधार या पुनर्विचार की आवश्यकता होती है।

संवैधानिक प्रावधान एवं स्त्री समानता

डॉ. भीमराव अम्बेडकर महिलाओं की स्थिति के प्रति पूर्णतः सजग और आश्वस्त थे। संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने भारत के संविधान और उसकी राजनीतिक भाषा में महिलाओं के अधिकारों को पर्याप्त रूप से शामिल करने का प्रयास किया। इसलिए, उन्होंने महिलाओं की समानता को केवल औपचारिक (formal) ही नहीं, बल्कि वास्तविक (substantive) अर्थों में भी ध्यान में रखते हुए वही प्रावधान किए जो पुरुषों की तरह ही स्त्रियों पर भी लागू होते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में उनके महत्वपूर्ण योगदान के कारण इसे "मानव अधिकारों का नया घोषणापत्र" (New Charter of Human Rights) भी कहा जाता है। अंबेडकर कानून को एक ऐसे साधन के रूप में देखते थे, जिसके माध्यम से एक स्वस्थ और संतुलित सामाजिक व्यवस्था स्थापित की जा सके, जहाँ व्यक्ति का विकास समाज के विकास के साथ सामंजस्य में हो। उन्होंने भारतीय संविधान में स्वतंत्रता (Liberty), समानता (Equality) और बंधुत्व (Fraternity) के मूल्यों को समाहित किया, जो एक न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज की आधारशिला हैं।

- **अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता):** राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।

- **अनुच्छेद 15 (भेदभाव का निषेध):** धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक। अनुच्छेद 15(3) राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति देता है।
- **अनुच्छेद 16 (अवसर की समानता):** सार्वजनिक रोजगार के मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर।
- **अनुच्छेद 39 (राज्य के नीति निदेशक तत्व):** समान कार्य के लिए पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन, और आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार।
- **अनुच्छेद 42 (मानवीय कार्य स्थितियां):** कार्यस्थल पर न्यायसंगत, मानवीय स्थितियां और महिलाओं के लिए मातृत्व राहत (maternity relief) सुनिश्चित करना।

हिन्दू कोड बिल

डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने हिन्दू समाज में महिलाओं की दयनीय स्थिति के विरुद्ध सशक्त आवाज उठाई। उन्होंने सामाजिक इतिहास और शास्त्रों के नियमों का गहन अध्ययन करते हुए महिलाओं की स्थिति में सुधार की आवश्यकता को समझा। इसी उद्देश्य से उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए विधि मंत्री के रूप में संसद में Hindu Code Bill प्रस्तुत किया, जिसका उद्देश्य महिलाओं को संपत्ति, विवाह, तलाक, भरण–पोषण आदि से संबंधित वैधानिक अधिकार प्रदान करना था।

यद्यपि यह विधेयक अपने मूल स्वरूप में पूर्ण रूप से पारित नहीं हो सका, तथापि इसके अधिकांश प्रावधान बाद में संसद द्वारा अलग–अलग कानूनों के रूप में स्वीकार किए गए और आगे चलकर यही भारत में स्त्रियों के अधिकारों की नींव बना। इस प्रकार, डॉ. अंबेडकर ने हिन्दू समाज में महिलाओं को समान अधिकार दिलाने के लिए निरंतर संघर्ष किया और उनके सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

समान मताधिकार

महिला मताधिकार के संदर्भ में भारत की स्थिति का समुचित मूल्यांकन तभी संभव है जब इसे वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए। विभिन्न देशों में महिलाओं को मताधिकार प्रदान करने का समय, प्रक्रिया तथा स्वरूप भिन्न रहा है। विश्व स्तर पर महिला मताधिकार की शुरुआत 19वीं शताब्दी के अंत में हुई, जब न्यूजीलैंड ने 1893 में महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया। इसके बाद क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका (1920), ब्रिटेन (1918/1928) तथा फ्रांस (1944) जैसे देशों में महिलाओं को यह अधिकार प्राप्त हुआ।

भारत में यह अधिकार 1950 में भारतीय संविधान के लागू होने के साथ सभी को समान रूप से प्रदान किया गया। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष की दृष्टि से डॉ. अंबेडकर ने यह सुनिश्चित किया कि भारत के प्रत्येक नागरिक को धर्म, जाति तथा लिंग इत्यादि से ऊपर उठकर सभी को समान रूप से मतदान करने का अधिकार मिले, जो उस समय कई विकसित देशों में भी नहीं था। कई देशों जैसे स्विट्ज़रलैंड (1971) और सऊदी अरब (2015) इत्यादि में महिलाओं को मताधिकार भारत के बहुत बाद में मिला।

सारिणी: 1950 के बादः स्त्री मताधिकार तथा वैश्विक परिदृश्य

क्रम संख्या	देश	वर्ष	विशेष टिप्पणी
1	नेपाल	1951	भारत के तुरंत बाद मताधिकार
2	भूटान	1953	प्रारंभिक लोकतांत्रिक सुधारों के साथ
3	नाइजीरिया	1958–1960	क्षेत्रीय से राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार
4	अल्जीरिया	1962	स्वतंत्रता के बाद अधिकार
5	मोरक्को	1963	संवैधानिक सुधारों के साथ
6	केन्या	1963	स्वतंत्रता के बाद लागू
7	स्विट्ज़रलैंड	1971	जनमत संग्रह के बाद
8	पुर्तगाल	1976	पूर्ण लोकतांत्रिक परिवर्तन के बाद
9	लिकटेंस्टीन	1984	बहुत देर से अधिकार
10	कुवैत	2005	संसदीय अधिकार देर से मिला
11	संयुक्त अरब अमीरात	2006	सीमित मताधिकार
12	सऊदी अरब	2015	केवल स्थानीय चुनावों में

आर्थिक सुधार और श्रम कानून

उन्होंने 1942 में श्रम मंत्री के रूप में कामकाजी महिलाओं के लिए 'मैटरनिटी बेनिफिट बिल' (प्रसूति लाभ अधिनियम) के लिए मातृत्व अवकाश (Maternity Benefit) और श्रम कानूनों में सुधार का समर्थन किया। महिलाओं के लिए समान वेतन और बेहतर कार्य परिस्थितियों की वकालत की। अंबेडकर ने भारत के श्रम मंत्री के रूप में महिलाओं के कार्यस्थल पर अधिकारों के लिए क्रांतिकारी कदम उठाए:–

मातृत्व लाभ (Maternity Benefit)

महिलाओं के श्रम–अधिकारों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है, जिसका उद्देश्य गर्भावस्था और प्रसव के दौरान कार्यरत महिलाओं को आर्थिक, शारीरिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। यह न केवल महिला के स्वास्थ्य और गरिमा की रक्षा करता है, बल्कि नवजात शिशु के समुचित विकास के लिए भी अनिवार्य है। भारत में मातृत्व लाभ की अवधारणा को संस्थागत रूप देने में डॉ. भीमराव अंबेडकर का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने यह स्पष्ट रूप से समझा कि महिलाओं को केवल समान अधिकार देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनकी जैविक और सामाजिक भूमिकाओं को ध्यान में रखते हुए विशेष संरक्षण भी आवश्यक है। 1942 से 1946 के बीच वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में श्रम सदस्य के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने महिला श्रमिकों के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिनमें मातृत्व अवकाश की व्यवस्था, कार्यस्थलों पर स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों का प्रावधान तथा कार्य के घंटों को सीमित करना शामिल था। 1927 में बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य के रूप में उन्होंने मातृत्व लाभ विधेयक (Maternity Benefit Bill), गर्भपात (Abortion) तथा जन्म नियंत्रण (Birth Control) जैसे विषयों पर प्रगतिशील दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जिससे महिलाओं के स्वास्थ्य और प्रजनन अधिकारों को मान्यता मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ। उनके प्रयासों का परिणाम यह हुआ कि श्रम नीतियों में पहली बार महिलाओं के लिए विशेष प्रावधानों को गंभीरता से शामिल किया गया।

कार्य के घंटों का निर्धारण

औद्योगिक क्रांति के प्रारंभिक दौर में महिलाओं से अत्यधिक (10–12 घंटे) कार्य लिया जाता था, जिससे उनके स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता था। इस स्थिति में

सुधार के लिए श्रम कानूनों के माध्यम से कार्य के घंटे सीमित करने की आवश्यकता महसूस हुई। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने 1942–46 के दौरान श्रम सदस्य के रूप में कार्य करते हुए भारत में 8 घंटे कार्य–दिवस (8-hour workday) लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे महिलाओं सहित सभी श्रमिकों को अत्यधिक श्रम से राहत मिली और कार्य–जीवन संतुलन में सुधार हुआ। कार्य के घंटों के निर्धारण से महिलाओं के स्वास्थ्य, मातृत्व और पारिवारिक दायित्वों के साथ संतुलन बनाने में सहायता मिली, जो सामाजिक न्याय और श्रमिक कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।

अम्बेडकर ने यह भी सुनिश्चित किया कि औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान आर्थिक असुरक्षा का सामना न करना पड़े। उन्होंने खदानों और कारखानों में काम करने वाली महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ से संबंधित प्रावधानों को मजबूत करने की दिशा में पहल की, जो आगे चलकर व्यापक कानूनों का आधार बने। इसी क्रम में बाद में मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 अस्तित्व में आया, जिसने मातृत्व अवकाश, वेतन सहित छुट्टी, चिकित्सा सहायता और कार्यस्थल पर सुरक्षा जैसे प्रावधानों को कानूनी रूप प्रदान किया। समय के साथ इसमें संशोधन कर इसे और अधिक प्रभावी बनाया गया, जैसे 2017 के संशोधन में मातृत्व अवकाश को 26 सप्ताह तक बढ़ा दिया गया तथा क्रेच सुविधा को अनिवार्य किया गया। यह दर्शाता है कि अम्बेडकर की दूरदर्शी सोच केवल तत्कालीन समय तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसने भविष्य की नीतियों को भी दिशा प्रदान की।

डॉ. अम्बेडकर का दृष्टिकोण सामाजिक न्याय पर आधारित था, जिसमें वे समानता के साथ–साथ न्यायपूर्ण व्यवहार (equity) को भी आवश्यक मानते थे। उनके अनुसार, यदि महिलाओं को वास्तविक रूप से सशक्त बनाना है, तो उन्हें उनकी विशेष परिस्थितियों में अतिरिक्त सहयोग देना अनिवार्य है। यही कारण है कि उन्होंने मातृत्व को केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक विषय न मानकर एक सामाजिक और आर्थिक मुद्दा माना। वर्तमान समय में भी, यद्यपि मातृत्व लाभ से संबंधित कानून मौजूद हैं, फिर भी असंगठित क्षेत्र में इनके प्रभावी क्रियान्वयन की चुनौती बनी हुई है। इसके बावजूद यह निर्विवाद है कि भारत में मातृत्व लाभ की अवधारणा को सशक्त बनाने में डॉ. भीमराव अंबेडकर के प्रयास आधारभूत और ऐतिहासिक महत्व रखते हैं, जिन्होंने महिला श्रमिकों के अधिकारों को एक नई दिशा प्रदान की।

देवदासी प्रथा का विरोध

भारत में अनेक कुप्रथाएं प्रचलित रही हैं। भारत में दक्षिण और पश्चिम भारत के कुछ विशेष क्षेत्रों में यह प्रथा प्रचलित थी जिसका संबंध मंदिरों और धार्मिक परंपराओं से जोड़ा जाता था। इन क्षेत्रों में बालिकाओं को मंदिरों में देवी–देवताओं के नाम पर समर्पित (dedicate) किया जाता था, और उन्हें "देवदासी" कहा जाता था। प्रारंभ में इसे धार्मिक सेवा का रूप माना गया, लेकिन समय के साथ यह प्रथा सामाजिक शोषण और लैंगिक असमानता का माध्यम बन गई। जिनमें देवदासियों का शोषण किया जाता था। 1936 में बॉम्बे के दामोदर ठाकरसी हॉल में आयोजित सभा में उन्होंने देवदासी प्रथा के विरुद्ध सशक्त आवाज उठाई। डॉ. अम्बेडकर ने इस प्रथा को अमानवीय, शोषणकारी और स्त्री गरिमा के विरुद्ध बताया। उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर महिलाओं के शारीरिक और सामाजिक शोषण को वैध ठहराना अन्याय है। उनका उद्देश्य केवल इस प्रथा की आलोचना करना नहीं था, बल्कि समाज को इसके खिलाफ जागरूक करना और इसे समाप्त करने के लिए प्रेरित करना था।

इसके अतिरिक्त, 1940 में नागपुर में महिला सम्मेलन का आयोजन कर उन्होंने महिलाओं को संगठित करने, उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने और सामाजिक परिवर्तन में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया। श्रमिक वर्ग की महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए उन्होंने Mines Maternity Benefit Act, The Coal Mines Pitheads Bath Rules, 1946 जैसे महत्वपूर्ण प्रावधानों के माध्यम से कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और गरिमा को सुनिश्चित किया। स्वतंत्रता के पश्चात, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने भारतीय संविधान में महिलाओं की समानता और सशक्तिकरण को विधिक आधार प्रदान किया। उन्होंने समानता, स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांतों को संविधान में समाहित करते हुए महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिलाने की दिशा में ऐतिहासिक कार्य किया। इसके साथ ही, हिंदू कोड बिल (Hindu Code Bill) के माध्यम से उन्होंने महिलाओं को संपत्ति, विवाह, उत्तराधिकार और तलाक के अधिकार प्रदान करने का प्रयास किया, जो उस समय एक क्रांतिकारी कदम था।

डॉ. अम्बेडकर ने भारतीय महिलाओं के अधिकार, समानता और सशक्तिकरण के लिए स्वतंत्रता–पूर्व तथा स्वतंत्रता–उपरांत दोनों ही कालों में अत्यंत महत्वपूर्ण प्रयास और योगदान दिए। इस प्रकार, डॉ. अंबेडकर का संघर्ष केवल सामाजिक सुधार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने कानून और संविधान के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों को संस्थागत रूप प्रदान किया। उनके इन प्रयासों ने भारतीय महिलाओं के सशक्तिकरण की मजबूत नींव रखी और उन्हें एक समान, सम्मानजनक और स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. अम्बेडकर, बी. आर. (1945). रानाडे, गांधी और जिन्ना। मुंबई: थैकर्स पब्लिशर्स
2. उबाले, मिलिंद (2016), Dr. Babasaheb Ambedkar's approach to women's empowerment. International Education and Research Journal.
3. कीर, धनंजय (2016), डॉ. बाबासाहब आंबेडकर: जीवन चरित, पॉपुलर प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड. (मूल कार्य 1954 में प्रकाशित)
4. बिस्वास, प्रहल्लाद चन्द्र (2024), Ambedkar on caste and women empowerment. Educational Administration: Theory and Practice, 30(4), 3266–3270.
5. मंडल, बी. सी. (2011), Dr. B.R. Ambedkar: A champion of women's rights and empowerment. कोलकाता: रवीन्द्र भारती विश्वविद्यालय।
6. शर्मा, मीनाक्षी (2019), अम्बेडकर का नारीवादी दृष्टिकोण।
7. हिर्कने, श्रद्धा एवं यादव, के. पी. (2024), Dr. Bhimrao Ambedkar and women empowerment. Educational Administration: Theory and Practice, 30(5), 15100–15101.
8. दुबे, कर्णिका (2020), B.R. Ambedkar and women empowerment. PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, 17(7), 10825–10830.